अंक 2: सितंबर 2018

Serving the Nation Since 1945

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक समाचार पत्र

मुख्य आकर्षण

- लखवाड़ परियोजना
- महादयी जल विवाद
- बैठक / दौरे
- परियोजना स्वीकृति
- केरल में बाढ़
- देश में बाढ़ की स्थिति
- जलाशय भंडारण निगरानी
- विदेशी दौरे
- दीर्घा
- जल क्षेत्र से एक श्रद्धांजलि

चर्चा में

संदेश

एस. मसूद हुसैन
अध्यक्ष, के ज आ

माह अगस्त 2018 में महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत की। ट्रिब्यूनल द्वारा पाया गया कि वर्तमान में महादयी नदी बेसिन में पिचहत्तर प्रतिशत की निर्भरता पर उपलब्ध जल का मात्र पांच प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है अतः माननीय ट्रिब्यूनल ने पार्टी राज्यों को अवार्ड के खंड-8 में उल्लिखित गतिविधियों को अमल में लाए जाने की इजाजत दी। ट्रिब्यूनल द्वारा महादयी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किए जाने के साथ साथ कई अनुशंसाएं भी की गईं हैं।

लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित सोलह राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है, के संबंध में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। इसके अंतर्गत 28 अगस्त 2018 को मंत्रालय और छः पार्टी राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

केन्द्रीय जल आयोग परियोजना डीपीआर का मूल्यांकन पहले ही पूरा कर चुका है। केन्द्रीय जल आयोग की डिजाइन इकाइयां इस परियोजना के निष्पादन हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगी।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2018 को सम्पन्न सलाहकार समिति की 137वीं बैठक में महाराष्ट्र की तीन प्रमुख सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बिहार की चार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को विचार विमर्श के उपरांत स्वीकृत कर लिया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,798.43 करोड़ रुपए आने का अनुमान है।

केन्द्रीय जल आयोग अपनी परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया में निरंतर सुधार कर रहा है और वर्ष 2017 में इस संबंध में संशोधित 'दिशानिर्देश'जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुछ परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को पांच माह के अंदर पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के मूल्यांकन में कार्य कुशलता बढ़ाने और उनमें पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से एक 'आन लाइन'प्रक्रिया (ई-पीएएमएस) प्रारंभ की जा रही है जो अभी परीक्षण अवस्था में है।

यह इस पत्रिका का दूसरा अंक है। इस अवसर पर मैं पत्रिका में वांछित सुधार हेतु पाठकगणों के विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमेशा आकांक्षी रहूँगा ।

मसूद हुसैन

लखवाड़ परियोजना के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर

पिछले तीन महीनों मे जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

कुल लागत – रु 96546 करोड़

लाभान्वित राज्य/क्षेत्र 6

सिंचाई परियोजनाएं 5

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 8

लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना

लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 28.08.2018 को आयोजित समझौता पत्र पर हस्ताक्षर समारोह

28 अगस्त, 2018 को श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा देहरादून के नजदीक यमुना नदी पर लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, मंत्रालय द्वारा निर्धारित सोलह राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है।

वर्ष 1976 में स्वीकृत लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य 1992 में निलंबित कर दिया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत देहरादून जिले के लोहारी गाँव के पास यमुना नदी पर 330.66 एमसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता वाले 204 मीटर ऊँचे कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह भंडारण 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा के साथ साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदान करेगा तथा इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। इस परियोजना का निष्पादन मैसर्स उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएल) द्वारा किया जाएगा।

इस परियोजना की कुल लागत 3966.51 करोड़ रुपए में से बिजली संबंधी कार्यों की लागत 1388.28 करोड़ रुपए को उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और सिर्फ उसे ही इस परियोजना से उत्पादित बिजली का लाभ मिलेगा। सिंचाई और पेयजल घटक की

नदी	यमुना
स्थान	गाँव/तहसील : लोहारी , जिला – देहरादून (उत्तराखंड)
लाभ	जल शक्ति - 300 मेगा वाट वार्षिक जल शक्ति उत्पादन -572.54 मिलियन यूनिट सिंचाई क्षमता - 33780 हेक्टेयर पेय और औद्योगिक जल - 78.83 एमसीएम
बांध का प्रकार	कंक्रीट बांध
सक्रिय भंडारण	330.66 एमसीएम
लंबाई	481.5 मीटर
ऊंचाई	204 मीटर
अनुमानित लागत	रु 3966.51 करोड़ (मूल्य स्तर वर्ष- 2012)

शेष लागत 2578.23 करोड़ रुपए का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपए) केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा और 10 प्रतिशत लागत पार्टी राज्यों के बीच यमुना नदी के जल के बंटवारे के अनुसार अनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना डीपीआर मूल्यांकन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। आयोग की डिजाइन यूनिट परियोजना के निष्पादन हेतु परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करेंगी।

महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल

ट्रिब्यूनल अध्यक्ष एवं सदस्य माननीय मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच महादयी बेसिन के जल विवाद को सुलझाने हेतु नवम्बर 2010 में आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे एम पांचाल ने उक्त अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त 2018 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है। उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के अंतर्गत ट्रिब्यूनल से स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन लिए जाने हेतु भारत सरकार के सबंधित विभाग और पार्टी राज्यों द्वारा उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

ट्रिब्यूनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महादयी नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 2032 वर्ग किमी है और इस क्षेत्रफल में से 375 वर्ग किमी कर्नाटक राज्य में स्थित है, 77 वर्ग किमी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और बाकी गोवा राज्य में है । ट्रिब्यूनल द्वारा महादयी नदी बेसिन में 75 प्रतिशत निर्भरता पर जल की उपलब्धता 5327.5 एमसीएम (188.06 टीएमसी) निर्धारित की गयी है। ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि वर्तमान में महादयी नदी बेसिन के कुल उपलब्ध जल का मात्र 5 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है।

रिपोर्ट में दर्शायी गयी पानी की उपलब्ध मात्रा और उसके अनुमत्य उपभोग्य उपयोग (Allowed Consumptive Utilization) को संक्षेप में नीचे सारिणी में दिखाया गया है।

ट्रिब्यूनल द्वारा गोवा राज्य को वर्तमान में 9.395 टीएमसी जल के उपयोग के अतिरिक्त 24 टीएमसी जल उपयोग की योजना बनाने के लिए अनुमति दी गयी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट और अंतिम निर्णयों के अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार एक 'महादयी जल प्रबंधन प्राधिकरण'गठित करे।

पंचाट (एवार्ड) और अंतिम निर्णयों की समीक्षा एक सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी ट्रिब्यूनल द्वारा 31 अगस्त 2048 के पश्चात की जा सकती है।

ट्रिब्यूनल में केन्द्रीय जल आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस पी काकरन और सदस्य श्री एम ई हक ने निर्धारक की भूमिका अदा की है।

राज्य	जल संग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी)	75% निर्भरता पर जल उपलब्धता (टीएमसी)	अनुमन्य उपभोग्य उपयोग (टीएमसी)
गोवा	1580	अनुपलब्ध	33.395
कर्नाटक	375	32.11	5.40
महाराष्ट्र	77	7.21	1.33
कुल बेसिन	2032	188.06	40.125

बैठक/दौरे

अगस्त, 2018 के दौरान जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजीव प्रताप रुडी के साथ समिति के अन्य सदस्य और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी गण कलिमपोंग (पश्चिम बंगाल) मे

श्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) दिनांक 30.08.2018 को कावेरी और दक्षिणी नदियां संगठन (सीएंडएसआरओ), के ज आ , कोयंबटूर की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए

श्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) दिनांक 29.08.2018 को महानदी और पूर्वी नदियां संगठन (एमएंडईआरओ), के ज आ भुवनेश्वर की चल रही परियोजना और संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए

श्री यू पी सिंह, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), यूजीबीओ, के ज आ लखनऊ में 14.08.2018 को आयोजित वृक्षारोपण समारोह में

श्री यू पी सिंह, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), यूजीबीओ, के ज आ, लखनऊ में 14.08.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक लेते हुए

परियोजना स्वीकृति

श्री यू पी सिंह, सचिव की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति की 28 अगस्त 2018 को केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली में हुई बैठक में महाराष्ट्र की तीन प्रमुख सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बिहार की चार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को जिनकी कुल लागत 11,798.43 करोड रुपए है, को स्वीकृत कर लिया गया है। परियोजनाओं का विवरण नीचे सारिणी में दर्शाया गया है।

क्र सं	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना श्रेणी	लाभान्वित क्षेत्र / जिले	लाभ	लागत (करोड़ रु.)
1	जिगांव सिंचाई परियोजना के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	महाराष्ट्र	वृहद सिंचाई	बुलढाणा व अकोला	कृष्य कमांड क्षेत्र -84240 हे० पेय जल -12.95 MCM	7764.39
2	लोअर तापी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद सिंचाई	जलगांव व धूले	कृष्य कमांड क्षेत्र 25657 हे० पेय जल -36 MCM	2751.05
3	जिहे कथापुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद सिंचाई	सतारा	कृष्य कमांड क्षेत्र -35540 हेक्टेयर	1061.34
4	पीपी तटबंध और चंद्रपुर रिटायर लाइन के बीच किलोमीटर 28.00 से 35.00 तक अपरदनरोधी कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	कुशी नगर (उप्र), पश्चिम चंपारण (बिहार)	संरक्षित क्षेत्र 792000 हेक्टेयर और आबादी 149198	49.15
5	जौआ दीली दीवानगंज महानंदा के बाए तटबंध की किमी 13.25 से किमी 34.07 तक बढ़ोतरी और मजबूती और 3 किमी के अंतराल पर सर्विस रोड के साथ टर्निंग प्लेटफार्म	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	कटिहार	संरक्षित क्षेत्र 40180 हेक्टेयर और आबादी 200000	81.77
6	0.00 किमी से 13.110 किमी के बीच नगरपारा तटबंध की बढ़ोतरी और मजबूती और तटबंध की उपरोक्त लंबाई में सेवा सड़क का निर्माण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	भागलपुर	संरक्षित क्षेत्र 4500 हेक्टेयर और आबादी 200000	46.59
7	एसएमएल, ईएसएमएल के बाढ़ नियंत्रण कार्य,पंची दाएं तटबंध, दगमारा- राजपुर तटबंध और 15 किमी से 18.213 के डब्ल्यूकेई (भारदा के नीचे) की बढ़ोतरी और मजबूती के कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	सुपौल और मधुबनी	संरक्षित क्षेत्र 10500 हेक्टेयर और आबादी 500000	44.14

श्री यू पी सिंह, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

केरल में बाढ़ के संदर्भ मे अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम

मॉनसून-2018 के दौरान बाढ़ /भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) में के ज आ का प्रतिनिधित्व किया गया । केंद्रीय टीम ने 09.08.2018 को केरल के माननीय मुख्यमंत्री के साथ और 12.08.2018 को श्री राजनाथ सिंह माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के साथ चर्चा की । केंद्रीय टीम मे गृह मंत्रालय, के ज आ, के वि प्रा , वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के अधिकारी सम्मिलित थे। इसमे के ज आ का प्रतिनिधित्व श्री आर थंगामनी, निदेशक (बीच अपरदन), कोच्चि ने सदस्य के रूप में किया।

केरल मे बाढ़ पर पैनल चर्चा

दिनांक 21 अगस्त 2018 को सांय 7.30 बजे प्रसारित ''राज्य सभा टेलीविजन" के ''बिग पिक्चर" कार्यक्रम में ''बाढ़ और बांध प्रबंधन" विषय पर आयोजित चर्चा में केन्द्रीय जल आयोग के श्री एन के माथुर, सदस्य (डी एवं आर) सम्मिलित रहे।

श्री माथुर द्वारा केरल राज्य में 8 अगस्त 2018 को हुई अत्यधिक वर्षा और 15 से 17 अगस्त 2017 को पूरे राज्य में हुई गहन वर्षा को मौसम संबंधी चरम घटनाओं के रूप में बताया। उन्होने बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और जलाशयों के संचालन के अंतर पर प्रकाश डाला। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि हांलाकि सभी जलाशयों के लिए मानसून के शुरुआती दिनों में बाढ़ नियंत्रण व बांधों के संरक्षण भंडारण के लिए रूल कर्व होने चाहिए फिर भी इस प्रकार की चरम बाढ़ को नियंत्रित करना सदैव संभव नहीं हो पाता है। उन्होने यह भी बताया कि नदी के पास बस्तियों की मौजूदगी भी व्यापक नुकसान का कारण बनती है।

अगस्त 2018 के दौरान देश मे बाढ़ की स्थिति

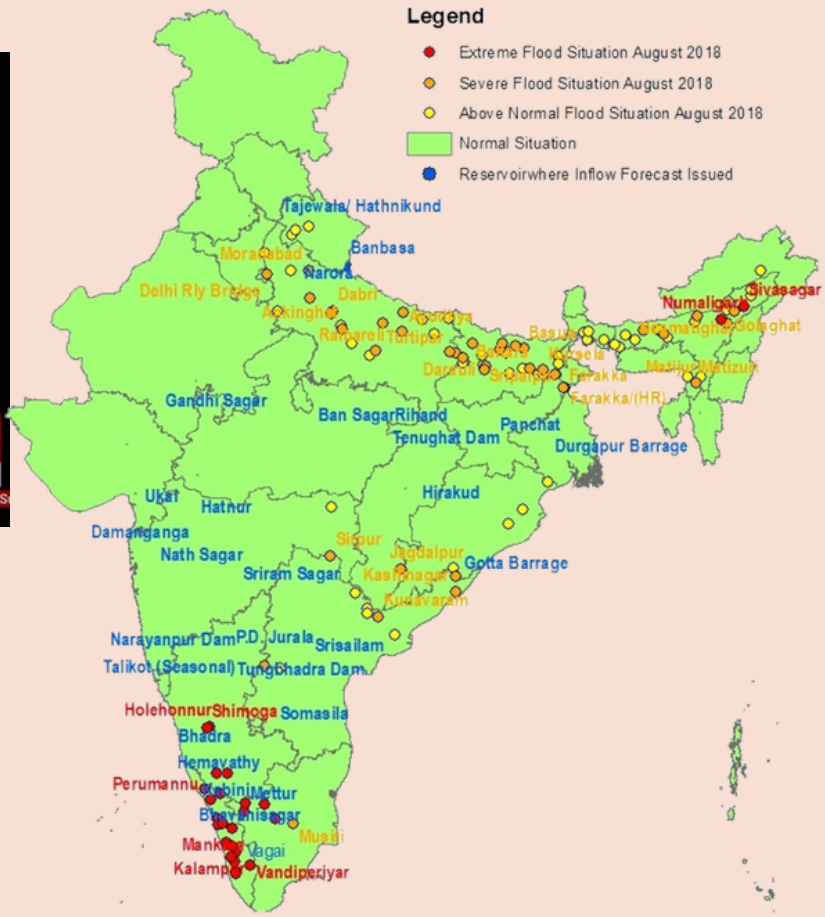

Note: Points refer to Flood Forecasting/Flood Monitoring /Reservoir/Dam/Barrages Stations

Category	Level
I	Extreme- L ≥ HFL
II	Severe- HFL > L ≥ DL
III	Above Normal DL > L ≥ WL
IV	Normal L < WL

जलाशय भंडारण निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 91 प्रतिनिधि जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरूवार को इस संबंध में साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन 91 भंडारण जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.939 घन किमी है जो कि देश भर में बनाई गई कुल अनुमानित सक्रिय भंडारण क्षमता 257.812 घन किमी का 63 प्रतिशत है।

30 अगस्त 2018 को जारी बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों की भंडारण क्षमता 112.083 घन किमी है जो कि इन जलाशयों के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 69 प्रतिशत है। यह क्षमता पिछले वर्ष इसी अवधि की भंडारण क्षमता का 132 प्रतिशत व पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 114 प्रतिशत है।

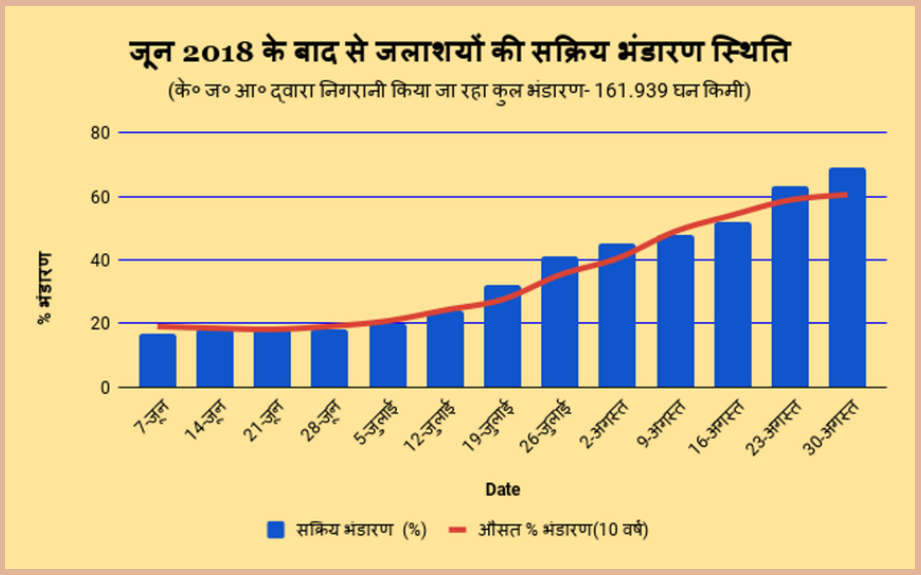

विदेशी दौरे

बांध को भूकंपीय खतरों और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित अध्ययन और महानिदेशक, जापान जल एजेंसी के साथ चर्चा के लिए जापान गयी भारतीय टीम

भारत-पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की 115 वीं बैठक 29-30 अगस्त 2018 को लाहौर, पाकिस्तान में आयोजित की गई । पीआईसी बैठक के लिए 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु जल के भारतीय आयुक्त श्री पी के सक्सेना ने किया

आईसीआईडी के लिए आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद) और कार्य निकायों की परिषद बैठक की 69 वीं बैठक कनाडा के सास्काटून में आयोजित की गई । श्री के वोहरा, आयुक्त (एसपीआर), जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, श्री अनुज कंवल, सदस्य सचिव (आईएनसीएसडब्लू), और श्री एस.एल. मीना, निदेशक (वित्त), के ज आ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2019 में औरंगाबाद में सीडब्ल्यूसी-आईएनसीएसडब्ल्यू द्वारा आयोजित होने वाले 9वें अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का प्रचार प्रसार किया ।

श्री एस.के. हल्दर, मुख्य अभियंता के ज आ(मध्य में) विश्व जल सप्ताह में उनकी भागीदारी के दौरान, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों के साथ।
विश्व जल सप्ताह , वैश्विक स्तर पर जल क्षेत्र में विशेष वार्षिक कार्यक्रमों में से एक है जो 26 अगस्त, 2018 को स्टॉकहोम, स्वीडन में शुरू हुआ । इसी तरह आने वाले महीनों में भारत जल सप्ताह का आयोजन होगा

दीर्घा

श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (ज सं न वि एवं गं सं), श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री (ज सं न वि एवं गं सं), श्री यू पी सिंह, सचिव (ज सं न वि एवं गं सं), श्री एम के श्रीनिवास, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए, श्री एस एम हुसैन, अध्यक्ष, के ज आ एनडबल्यूडीए के 32वें वार्षिक सामान्य बैठक एवं नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की 15वीं बैठक में भाग लेते हुए ((दाए से बाएँ)

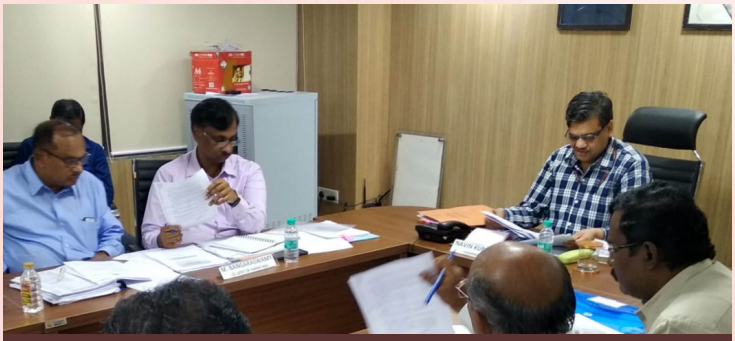

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की तीसरी बैठक 9 अगस्त, 2018 को सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली में श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई

के ज आ के अधिकारी बेतवा नदी पर धुक्वान जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) का दौरा करते हुए

पुनसाङ्चू-I और II जल विद्युत परियोजना की तकनीकी समन्वय समिति की बैठक 23-8-18 को नई दिल्ली मे आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता सदस्य (डी एंड आर), के ज आ ने की

के ज आ नई दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 20.08.2018 को सद्भावना दिवस पर शपथ ली

जल क्षेत्र से श्रद्धांजलि

माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी का 16 अगस्त, 2018 को निधन हो गया। केन्द्रीय जल आयोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनके कार्यकाल 1998-2004 के दौरान जल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए।

वर्ष 1987 में पहली बार ''राष्ट्रीय जल नीति" को अपनाया गया। बदलते परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 1998 में इसे अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई। 01 अप्रैल 2002 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 5वीं बैठक में हुई चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा इसे स्वीकृति मिली। तत्पश्चात 05 फरवरी 2003 को नयी दिल्ली में आयोजित जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ''एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन" हेतु एक दृष्टिपत्र भी जारी किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान चीन के साथ जल संबंधी आंकड़े साझा किए जाने हेतु एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया और नेपाल के साथ एक संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना किए जाने हेतु सहमति बनी।

इसी दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों के अंतर्योजन योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर पूर किए जाने वाले प्रमुख लिकों की पहचान किए जाने हेतु श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक ''टास्क फोर्स" की स्थापना की गई थी। इससे भारत में नदियों के अंतर्योजन किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समय इसके अंतर्गत कई डीपीआर स्वीकृत हो चुके हैं तथा क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं।

प्रकाशक
जल प्रणाली इंजीनियरिंग निदेशालय
केंद्रीय जल आयोग
दूसरा मंजिल (दक्षिण), सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

CWC.GOV.IN
CWCOfficial.GoI
CWCOfficial_GoI
CWCOfficial.GoI